

अज अदालत- अपर जिला कलक्टर, मुकाम- नागौर

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

रतनाराम पुत्र भंवरराम जाति बणजारा निवासी
ताउसर तहसील व जिला नागौर।

तहसीलदार नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र

नं. 37

सन् 18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकान जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2-1-18	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 267/2017 सरकार बनाम रतनाराम में प्रार्थी का ग्राम ताउसर के खसरा नं. 306 रकबा 0.15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 27.10.17 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो।</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आवश्यक प्रकृति होना बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम रूप से सुनवाई आज ही चाही गई है, जिस पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय अन्तरिम रूप से सुना गया।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभी अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आना शेष है। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष अप्रार्थी को सुने बिना अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली दिनांक 10.01.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अपर कलक्टर नागौर</p>	
10.1.18	<p>बुक्राज उफ.। काज श्रीमान् 90 हाउक प्रीटिंग व फल्ल काजे में स्पष्ट ही पत्रावली दि. 16.1.18 को पेश हो।</p>	
16.1.18	<p>बुक्राज उफ.। पत्रावली मूल अपील के साक दि. 18-1-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अपर कलक्टर, नागौर</p>	
18.1.18	<p>बुक्राज उफ.। शर्की की मूल अपील बिल्लूता विवेचन के साक खारिज की जा रही है, जो अनुसूचित प्रकृत शर्की का भी खारिज किया जा रहा है। पत्रावली के मूल मुकदमा ही मंडल के मक होकर साखिल प्रकृत हो।</p> <p style="text-align: center;">अपर कलक्टर, नागौर</p>	

